कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 13759/2022 (खुर्रम शहजाद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 की पालना में प्रार्थी श्री खुर्रम शहजाद, वरिष्ठ अध्यापक (गणित) महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय मथानियां (511797) तिंवरी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 04.11.2022 पर विचार किया।

प्रार्थी ने याचिका के जरिये इस कार्यालय द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/स्थानान्तरण/वोल–2/2022 दिनांक 28.08.2022 की पालना में उसे राउमावि सिमरखिया (220683), पाटौदी, बाड़मेर से राउमावि फड़ोद (213437) नागौर की पालना में कार्यमुक्त नही किये जाने को प्रश्नगत किया है। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 01.11.2022 द्वारा याची को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किया है।

न्यायालय निर्णय दिनांक 01.11.2022 के प्रकाश में प्रार्थी के अभ्यावेदन का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि उसने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.08.2022 को उचित प्रकार से उपान्तरित करते हुए स्वयं को महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय मथानियां (511797) तिंवरी, जोधपुर से राउमावि फड़ोद (213437) नागौर कार्यमुक्त हुआ माने जाने का अनुतोष चाहा है।

न्यायिक प्रकरण की पत्रावली एवं कार्यालय अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि प्रार्थी श्री खुर्रम शहजाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिमरखिया, जिला–बाड़मेर में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर कार्यरत है प्रार्थी का यह चयन वॉक इन इन्टरव्यू में साक्षात्कार के उपरान्त तथा इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा–माध्य/मा–द/वॉक इन इन्टरव्यू/2019–20 दिनांक 17.01.2022 द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् जो कि संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर के आदेश क्रमांक ईजेडी/स्कूलशिक्षा/जोध/ईए/मगावि/2022/698 दिनांक 19.01.2022 द्वारा उसका चयन महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में किया जाकर उसे महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय मथानियां (511797) तिंवरी, जोधपुर में पदस्थापित किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश में अकिंत शर्त संख्या 10 के अनुसार महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन उपरान्त पदस्थापित कार्मिकों का स्थानान्तरण सामान्य विद्यालय में हो जाने की दशा में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाना था। अतः प्रार्थी द्वारा अभ्यावेदन के जरिये की गई प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

प्रार्थी ने याचिका के जरिये कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक 31.08.2022 में क्र.सं. 1 पर श्री राकेश कुमार पारीक (प्रधानाचार्य) का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, धानी खंडा, विराट नगर, (465538) जिला–जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलवाला जाटान (248719) जिला–जयपुर एवं संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर के आदेश दिनांक 02.09.2022 के क्र.स. 5 पर श्री ओमप्रकाश विश्नोई (वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत) का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय श्री हरी सिंह पीलवा जिला– जोधपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एस.डी. चेनपुरा जिला–जोधपुर में होने पर इनका उदाहरण देकर यह मामला बनाने का प्रयास भी किया है कि अनेक अध्यापक जो महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में पहले से पदस्थापित हैं, उनका स्थानान्तरण सामान्य विद्यालयों में किया जाकर स्थानान्तरण आदेशों को क्रियान्वित किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिया गया यह तर्क सही एव स्वीकार योग्य नही है क्योंकि ये वे अध्यापक हैं जो इन विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किये जाने की तिथि से पहले से कार्य कर रहे हैं तथा साक्षात्कार के उपरान्त चयनित अध्यापकों का इन विद्यालयों में

पदस्थापन हो जाने पर् इन्हें यहां से हटाया जाकर सामान्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जाना निर्धारित है।

राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.08.2022 की निरन्तरता में दिनांक 23.08.2022 को जारी परिपत्र में महात्मा गाधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बंध में निम्न निर्देश जारी किए गए है कि

1. इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन को साक्षात्कार से मुक्त रखा जायेगा जिससे इन विद्यालयों में पदस्थापित किये गये शिक्षा अधिकारी सुचारू रूप से विद्यालय को संचालित कर सके।
2. हिन्दी, अंग्रेजी एवं तृतीय भाषाओं के वरिष्ठ अध्यापकों के अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापको का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि प्रार्थी श्री खुर्रम शहजाद वरिष्ठ अध्यापक (गणित) महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय मथानियां (511797) तिंवरी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः उसे यथावत कार्यरत रहने हेतु निर्देशित करते हुए इस अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12944/2023 दिनांकः– 22 APR 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. याचिकार्थी खुर्रम शहजाद वरिष्ठ अध्यापक (गणित), महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय मथानियां (511797) तिंवरी, जोधपुर
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

IMMEDIATE

(6)

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

क्रमाक प. 04(15)शिक्षा-1/2022

जयपुर, दिनांक : 23.08.22

-: परिपत्र :-

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/ राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में जारी विभाग के परिपत्र दिनांक 08.08.2022 की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन को साक्षात्कार से मुक्त रखा जायेगा जिससे इन विद्यालयों में पदस्थापित किये गये शिक्षा अधिकारी सुचारू रूप से विद्यालय को संचालित कर सके।
2. अनिवार्य हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य तथा अन्य भाषायी (साहित्य) विषयों के व्याख्याताओं के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के व्याख्याताओं का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
3. हिन्दी, अंग्रेजी एवं तृतीय भाषाओं के वरिष्ठ अध्यापकों के अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ/ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
9. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
13. रक्षित पत्रावली।

(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव-प्रथम

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/मा.द/शासन/66170/वोल.–04/20–21 दिनांक : 25.8.2022

(7)

1. समस्त
   संयुक्त निदेशक
   स्कूल शिक्षा।

2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
   एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

विषयः– महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/ राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के संबंध में जारी विभाग के परिपत्र दिनांक 08.08.2022 के निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः– राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा भाषा, पुस्तकालय एव पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग के परिपत्र कमांक प. 04(15)शिक्षा–1/2022 दिनांक 23.08.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/ राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी विभाग के परिपत्र दिनांक 08.08.2022 की निरन्तरता में शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.08.2022 के समस्त बिन्दुओ के अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाऐं।

संलग्नः– शासन स्तर से जारी परिपत्र

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमांक :– शिविरा/माध्य/मा.द/शासन/66170/वोल0–4/2020–2021 दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया।
4. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव,स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव,विशिष्ट शासन सचिव,स्कूल शिक्षा।
6. संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ/शासन उप सचिव,शिक्षा (ग्रुप–2,5,6) विभाग।
7. शासन उप सचिव,प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना)/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ।
8. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,स्कूल शिक्षा।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर